**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर।**

**सत्रवाद सं0 153/2024**

सरकार

बनाम

मिना देवी वगै0

**आदेश**

**20.02.2025** आवेदक अभियुक्त विक्की यादव एवं मिना देवी की ओर से द0प्र0स0 की धारा– 227 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक– 14.11.2024 तथा अभियोजन की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक– 24.01.2025 पर उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से आवेदन दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इनके विरूद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र सं0 144/23 दिनांक– 27.08.2023 धारा–341, 323, 504, 308/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत समर्पित किया गया।

विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। साक्षीगण द0प्र0सं0 की धारा– 161 के बयान में यह नहीं बताये हैं कि इनका पूर्व योजना एवं आशय मानव वध करने का था जिससे कि धारा– 308 भा0द0वि0 का आरोप गलत हो। जख्मी पर चिकित्सक द्वारा जख्म कड़े एवं भोथड़े हथियार से पाया गया है जब कि जख्मी चाकू से मारने की बात बताये हैं। इससे धारा 308 भा0द0वि0 का आरोप साबित नहीं होता है। आवेदिका अभियुक्ता मिना देवी द्वारा भी इटाढ़ी थना कांड सं0 168/23 सूचक वगै0 पर किया गया है जिसमें अनुसंधानकर्ता धारा–341, 323, 504, 308/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण आरोप मुक्त होने योग्य हैं।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदक का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। अनुसंधानकर्ता द्वारा मामले को धारा–341, 323, 504, 308/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मामले को सत्य पाते हुये आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा निम्न न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान भी लिया गया है। धारा– 308 भा0द0वि0 के आरोप के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। आवेदक की आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा मामले को धारा–341, 323, 504, 308/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मामले को सत्य पाते हुये आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा निम्न न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान भी लिया गया है। उभय पक्षों में वाद

प्रतिवाद दाखिल है। कांड दैनिकी के पैरा–10, 11 के साक्षीगण घटना का समर्थन किये हैं जो कि उपरोक्त धाराओं 341, 323, 504, 308/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है। उक्त तथ्यो एवं विवेचना के आलोक में आवेदक अभियुक्त द्वारा दाखिल आरोप मुक्त आवेदन दिनांक– 14.11.2024 को खारिज किया जाता है। वास्ते दिनांक– 06.03.2025 आरोप गठन हेतु अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

(लेखापित व शुद्धित)

**(प्रभाकर दत्त मिश्र)**

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर।